



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-30112022-240660  
CG-DL-W-30112022-240660

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY  
साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 47] नई दिल्ली, नवम्बर 20—नवम्बर 26, 2022, शनिवार/ कार्तिक 29—अग्रहायण 5, 1944  
No. 47] NEW DELHI, NOVEMBER 20—NOVEMBER 26, 2022, SATURDAY/KARTIKA 29—AGRAHAYANA 5, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं  
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India  
(Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय  
(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2022

का.आ. 1201.—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, बैंक आफ बड़ौदा के मुख्य महाप्रबंधक श्री ललित त्यागी (जन्म तिथि: 14.6.1971) को पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बैंक आफ बड़ौदा में कार्यपालक निदेशक के पद पर नियुक्त करती है।

[ईफा. सं. 4/6/2021-बीओ-1]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Financial Services)**

New Delhi, the 21st November, 2022

**S.O. 1201.**— In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Central Government hereby appoints Shri Lalit Tyagi (date of birth: 14.6.1971), Chief General Manager, Bank of Baroda as Executive Director in Bank of Baroda for a period of three years with effect from the date of assumption of office, or until further orders, whichever is earlier.

[eF. No. 4/6/2021-BO.I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2022

**का.आ. 1202.**— बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, पंजाब नैशनल बैंक के मुख्य महाप्रबंधक श्री विनोद कुमार (जन्म तिथि: 1.1.1971) को पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, पंजाब नैशनल बैंक में कार्यपालक निदेशक के पद पर नियुक्त करती है।

[ईफा. सं. 4/6/2021-बीओ-1]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 21st November, 2022

**S.O. 1202.**— In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Central Government hereby appoints Shri Binod Kumar (date of birth: 1.1.1971), Chief General Manager, Punjab National Bank as Executive Director in Punjab National Bank for a period of three years with effect from the date of assumption of office, or until further orders, whichever is earlier.

[eF. No. 4/6/2021-BO.I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2022

**का.आ. 1203.**— बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, यूनियन बैंक आफ इंडिया के मुख्य महाप्रबंधक श्री अशोक चन्द्र (जन्म तिथि: 16.12.1968) को पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, केनरा बैंक में कार्यपालक निदेशक के पद पर नियुक्त करती है।

[ईफा. सं. 4/6/2021-बीओ-1]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 21st November, 2022

**S.O. 1203.**— In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Central Government hereby appoints Shri Ashok Chandra (date of birth: 16.12.1968), Chief General Manager, Union Bank of India as Executive Director in Canara Bank for a period of three years with effect from the date of assumption of office, or until further orders, whichever is earlier.

[eF. No. 4/6/2021-BO.I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2022

**का.आ. 1204.**— बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, केनरा बैंक के मुख्य महाप्रबंधक श्री रामासुब्रमण्यन एस. (जन्म तिथि: 7.6.1967) को पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, यूनियन बैंक आफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक के पद पर नियुक्त करती है।

[ईफा. सं. 4/6/2021-बीओ-1]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 21st November, 2022

**S.O. 1204.**— In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Central Government hereby appoints Shri Ramasubramanian S. (date of birth: 7.6.1967), Chief General Manager, Canara Bank as Executive Director in Union Bank of India for a period of three years with effect from the date of assumption of office, or until further orders, whichever is earlier.

[eF. No. 4/6/2021-BO.I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2022

**का.आ. 1205.**— बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, इंडियन बैंक के महाप्रबंधक श्री महेश कुमार बजाज (जन्म तिथि: 13.6.1965) को पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से उनकी अधिवर्षिता की तारीख (अर्थात् 30.6.2025) तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, इंडियन बैंक में कार्यपालक निदेशक के पद पर नियुक्त करती है।

[ईफा. सं. 4/6/2021-बीओ-1]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 21st November, 2022

**S.O. 1205.**— In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Central Government hereby appoints Shri Mahesh Kumar Bajaj (date of birth: 13.6.1965), General Manager, Indian Bank as Executive Director in Indian Bank with effect from the date of assumption of office and up to the date of his attaining the age of superannuation (*i.e.*, 30.6.2025), or until further orders, whichever is earlier.

[eF. No. 4/6/2021-BO.I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2022

**का.आ. 1206.**— बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री संजय कुमार के स्थान पर केनरा बैंक के मुख्य महाप्रबंधक श्री एम. परमसिवम (जन्म तिथि: 20.3.1967) को दिनांक 1.12.2022 को या उसके पश्चात पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, पंजाब नैशनल बैंक में कार्यपालक निदेशक के पद पर नियुक्त करती है।

[ईफा. सं. 4/6/2021-बीओ-1]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 21st November, 2022

**S.O. 1206.**— In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Central Government hereby appoints Shri M. Paramasivam (date of birth: 20.3.1967), Chief General Manager, Canara Bank as Executive Director in Punjab National Bank for a period of three years, with effect from the date of assumption of office on or after 1.12.2022 or until further orders, whichever is earlier, *vice* Shri Sanjay Kumar.

[eF. No. 4/6/2021-BO.I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2022

**का.आ. 1207.**— बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, बैंक आफ बड़ौदा के मुख्य महाप्रबंधक श्री सुब्रत कुमार (जन्म तिथि: 23.10.1970) को पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बैंक आफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक के पद पर नियुक्त करती है।

[ईफा. सं. 4/6/2021-बीओ-1]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 21st November, 2022

**S.O. 1207.**— In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Central Government hereby appoints Shri Subrat Kumar (date of birth: 23.10.1970), Chief General Manager, Bank of Baroda as Executive Director in Bank of India for a period of three years, with effect from the date of assumption of office or until further orders, whichever is earlier.

[eF. No. 4/6/2021-BO.I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2022

**का.आ. 1208.**— बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री आलोक श्रीवास्तव के स्थान पर बैंक आफ बड़ौदा के मुख्य महाप्रबंधक श्री मल्लादी वेंकट मुरली कृष्णा (जन्म तिथि: 1.8.1967) को दिनांक 1.12.2022 को या उसके पश्चात पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक के पद पर नियुक्त करती है।

[ईफा. सं. 4/6/2021-बीओ-1]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 21st November, 2022

**S.O. 1208.**— In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Central Government hereby appoints Shri Malladi Venkat Murali Krishna (date of birth: 1.8.1967), Chief General Manager, Bank of Baroda as Executive Director in Central Bank of India for a period of three years, with effect from the date of assumption of office on or after 1.12.2022 or until further orders, whichever is earlier, *vice* Shri Alok Srivastava.

[eF. no. 4/6/2021-BO.I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2022

**का.आ. 1209.**— बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, पंजाब नैशनल बैंक के मुख्य महाप्रबंधक श्री राजेन्द्र कुमार साबू (जन्म तिथि: 21.4.1971) को पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, यूको बैंक में कार्यपालक निदेशक के पद पर नियुक्त करती है।

[ईफा. सं. 4/6/2021-बीओ-1]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 21st November, 2022

**S.O. 1209.**— In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Central Government hereby appoints Shri Rajendra Kumar Saboo (date of birth: 21.4.1971), Chief General Manager, Punjab National Bank as Executive Director in UCO Bank for a period of three years with effect from the date of assumption of office, or until further orders, whichever is earlier.

[eF. No. 4/6/2021-BO.1]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2022

**का.आ. 1210.**— बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, बैंक आफ बड़ौदा के मुख्य महाप्रबंधक श्री संजय विनायक मुदलियार (जन्म तिथि: 2.7.1968) को दिनांक 1.1.2023 को या उसके पश्चात, श्री अजय कुमार श्रीवास्तव के द्वारा इण्डियन ओवरसीज बैंक के कार्यपालक निदेशक का पद रिक्त किए जाने पर, तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, इण्डियन ओवरसीज बैंक में कार्यपालक निदेशक के पद पर नियुक्त करती है।

[ईफा. सं. 4/6/2021-बीओ-1]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 21st November, 2022

**S.O. 1210.**— In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Central Government hereby appoints Shri Sanjay Vinayak Mudaliyar (date of birth: 2.7.1968), Chief General Manager, Bank of Baroda as Executive Director in Indian Overseas Bank for a period of three years with effect from the date of assumption of office on or after 1.1.2023, on relinquishment of the post of Executive Director, Indian Overseas Bank by Shri Ajay Kumar Srivastava, or until further orders, whichever is earlier.

[eF. No. 4/6/2021-BO.1]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

## वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

### (वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2022

**का.आ. 1211.**—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 की उपधारा (1) के साथ पठित निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 12, के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स मित्रा एस.के. प्राइवेट लिमिटेड, होल्डिंग नम्बर 22/107, वार्ड नं -9, पी.ओ. खंजनचक, हल्दिया, जिला-पूर्व मेदिनीपुर, पिन-721602, पश्चिम बंगाल, (जिसे एतदपश्चात् उक्त अभिकरण कहा जायेगा), को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए, वाणिज्य मंत्रालय की शासकीय राजपत्र में प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना के साथ अनुसूची में निर्दिष्ट दिनांक 20 दिसम्बर, 1965 की अधिसूचना की सं. का.आ. 3975 तथा दिनांक 20 दिसम्बर, 1965 की अधिसूचना सं. का.आ. 3978 के तहत प्रकाशित अधिसूचना में उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट खनिज और अयस्क समूह-I, अर्थात् लौह अयस्क, फेरोमैंगनीज सहित फेरोमैंगनीजस्लेग, और समूह-II, क्रोम कंसन्ट्रेट सहित क्रोम अयस्क के निर्यात से पूर्व निम्नलिखित शर्तों के अधीन हल्दिया पतन, कोलकाता पतन और सागर पतन, में उक्त खनिज और अयस्क के निरीक्षण करने के लिए एक अभिकरण के रूप में मान्यता देती है, अर्थात् :

- (i) यह अभिकरण, खनिज और अयस्क समूह-I का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1965 तथा खनिज और अयस्क समूह-II का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1965 के नियम 4 के अधीन निरीक्षण की पद्धति की जाँच करने के लिये निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा निमित्त नामनिर्दिष्ट अधिकारियों को पर्याप्त सुविधाएं देगी, और;
- (ii) यह अभिकरण, इस अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट अपने कार्यों का निष्पादन करने के लिए, निदेशक (निरीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण) निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा समय-समय पर, लिखित रूप में, दिए गए निर्देशों से आवद्ध होंगी।

[फा. सं. के-16014/8/2022 - निर्यात निरीक्षण]

एम. बालाजी, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

### (Department of Commerce)

New Delhi, the 23rd November, 2022

**S.O. 1211.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) read with sub-rule (2) of rule 12 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964, the Central Government hereby recognises M/s Mitra S. K. Private Limited, Holding No. 22/107, Ward No.- 9, P.O. Khanjanchak, Haldia, Dist. Purba Medinipur, Pin-721602, West Bengal, (hereinafter referred to as the said agency), as an agency for a period of three years with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, for the inspection of Minerals & Ores, Group-I, namely Iron Ore, Ferromanganese including Ferromanganese slag and Group-II, namely, Chrome Ore including Chrome Concentrate as specified in the Schedule annexed to the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce, published in the official Gazette vide number S.O.3975 dated 20<sup>th</sup> December, 1965 and S.O.3978 dated 20<sup>th</sup> December, 1965 respectively, prior to export of the said Minerals and Ores at Haldia port, Kolkata port and Sagar port, subject to the following conditions, namely: -

- (i) the said agency shall give adequate facilities to the officers nominated by the Export Inspection Council in this behalf to carry out the inspection specified under rule 4 of the Export of Minerals and Ores – Group I (Inspection) Rules, 1965 and Export of Minerals and Ores – Group II (Inspection) Rules, 1965, and;
- (ii) the said agency, in performance of their function as specified in this notification shall be bound by such directions, as the Director (Inspection and Quality Control), Export Inspection Council may give, in writing from time to time.

[F. No. K-16014/8/2022 - Export Inspection]

M. BALAJI, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2022

**का.आ. 1212.**—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 की उपधारा (1) के साथ पठित निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 12, के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स सीसी आईसी, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गोवा ब्रांच 15/23/c (14), फ्लैट नं एफ 5, तिसिरी मंजिल रोशल महल पिक्सेम डोंगरी वास्को-डा-गामा, मोरमुगाओ, गोवा 403802 (जिसे एतदपश्चात् उक्त अभिकरण कहा जायेगा), को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए, वाणिज्य मंत्रालय की शासकीय राजपत्र में प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना के साथ अनुसूची में निर्दिष्ट दिनांक 20 दिसम्बर, 1965 की अधिसूचना की संख्या का.आ. 3975 के तहत प्रकाशित अधिसूचना में उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट समूह-1, अर्थात् लौह अयस्क, और बॉक्साइट को निर्यात से पूर्व निम्नलिखित शर्तों के अधीन गोवा पत्तन में उक्त खनिज और अयस्क के निरीक्षण करने के लिए एक अभिकरण के रूप में मान्यता देती है, अर्थात्:

- (i) यह अभिकरण, खनिज और अयस्क समूह-1 का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1965 के नियम 4 के अधीन निरीक्षण की पद्धति की जाँच करने के लिये निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा निमित्त नामनिर्दिष्ट अधिकारियों को पर्याप्त सुविधाएं देगी, और;
- (ii) यह अभिकरण, इस अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट अपने कार्यों का निष्पादन करने के लिए, निदेशक (निरीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण) निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा समय-समय पर, लिखित रूप में, दिए गए निर्देशों से आबद्ध होंगी।

[फा. सं. के-16014/9/2022 - निर्यात निरीक्षण]

एम. बालाजी, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 23rd November, 2022

**S.O. 1212.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) read with sub-rule (2) of rule 12 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964, the Central Government hereby recognises M/s CCIC India Private Limited – Goa, Branch- 15/23/C (14), Flat No. F5, 3<sup>rd</sup> Floor, Roshal Mahal, Pixem Dongri, Vasco-Da-Gama, Mormugao, Goa- 403802, (hereinafter referred to as the said agency), as an agency for a period of three years with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, for the inspection of Minerals & Ores, Group- I, namely—Iron Ore and Bauxite, as specified in the Schedule annexed to the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce, published in the Official Gazette vide number S.O.3975 dated 20<sup>th</sup> December, 1965 prior to export of the said Minerals and Ores at Goa Port subject to the following conditions, namely: -

- (i) the said agency shall give adequate facilities to the officers nominated by the Export Inspection Council in this behalf to carry out the inspection specified under rule 4 of the Export of Minerals and Ores – Group I (Inspection) Rules, 1965;
- (ii) the said agency, in performance of their function as specified in this notification shall be bound by such directions, as the Director (Inspection and Quality Control), Export Inspection Council may give, in writing from time to time.

[F. No. K-16014/9/2022 - Export Inspection]

M. BALAJI, Jt. Secy.

### इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर, 2022

**का.आ. 1213.**—राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 (यथा-संशोधित, 1987) के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में, केन्द्र सरकार एतद्वारा इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एमएसटीसी लिमिटेड, कोलकाता के निम्नलिखित कार्यालयों, जिनके 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारीवृन्द ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को अधिसूचित करती है:-

- (i) शाखा कार्यालय, एमएसटीसी लिमिटेड, पटना
- (ii) शाखा कार्यालय, एमएसटीसी लिमिटेड, मुंबई

[फा. सं. ई-18/6/2021-रा.भा]

साकेश प्रसाद सिंह, मुख्य लेखा नियंत्रक

### MINISTRY OF STEEL

New Delhi, the 11th October, 2022

**S.O. 1213.**—In pursuance of Sub-rule (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for Official Purposes of the Union) Rules, 1976 (as amended, 1987), the Central Government hereby notifies the following offices of MSTC Limited, Kolkata under the administrative control of Ministry of Steel, wherein more than 80% of the staff have acquired the working knowledge of Hindi:-

- (i) Branch Office, MSTC Limited, Patna
- (ii) Branch Office, MSTC Limited, Mumbai

[F. No. E-18/6/2021-OL]

SAKESH PRASAD SINGH, Chief Controller of Accounts

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2022

**का.आ. 1214.**—राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 (यथा-संशोधित, 1987) के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में, केन्द्र सरकार एतद्वारा इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एमएसटीसी लिमिटेड, कोलकाता के निम्नलिखित कार्यालय, जिसके 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारीवृन्द ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को अधिसूचित करती है:—

- (i) शाखा कार्यालय, एमएसटीसी लिमिटेड, बेंगलौर

[फा. सं. ई-18/6/2021-रा.भा.]

साकेश प्रसाद सिंह, मुख्य लेखा नियंत्रक

New Delhi, the 11th November, 2022

**S.O. 1214.**—In pursuance of Sub-rule (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for Official Purposes of the Union) Rules, 1976 (as amended, 1987), the Central Government hereby notifies the following office of MSTC Limited, Kolkata under the administrative control of Ministry of Steel, wherein more than 80% of the staff have acquired the working knowledge of Hindi: -

(i) Branch Office, MSTC Limited, Bangalore

[F. No. E-18/6/2021-OL]

SAKESH PRASAD SINGH, Chief Controller of Accounts

### कोयला मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2022

**का.आ. 1215.**—कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 800, तारीख 14 सितम्बर, 2022, जो भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 17 सितम्बर, 2022 में प्रकाशित की गई थी, उक्त अधिसूचना से (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त भूमि कहा गया है) संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि और ऐसी भूमि में या उस पर के सभी अधिकार, उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन, सभी विल्लगमों से मुक्त होकर, आत्यंतिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए हैं;

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, डाकघर जागृति विहार, बुर्ला, जिला सम्बलपुर-768020, ओडिशा (जिसे इसमें इसके पश्चात सरकारी कंपनी कहा गया है), ऐसे निबंधनों और शर्तों का जिन्हें केन्द्रीय सरकार इस निमित्त अधिरोपित करना उचित समझे, अनुपालन करने के लिए इच्छुक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि 9.624 हेक्टेयर (लगभग) अथवा 23.780 एकड़ (लगभग) माप वाली उक्त भूमि और इस प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के सभी अधिकार तारीख 17 सितम्बर, 2022 से केन्द्रीय सरकार में इस प्रकार निहित बने रहने के बजाए, निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए सरकारी कंपनी में निहित हो जाएंगे, अर्थात:-

- (1) सरकारी कंपनी, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन और अन्य सुसंगत विधियों के अधीन यथा अवधारित प्रतिकर, ब्याज, नुकसानियों, इत्यादि, और वैसी ही मदों की बाबत सभी संदाय करेगी;
- (2) संदेय रकमों का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए उक्त अधिनियम की धारा 14 के अधीन एक अधिकरण का गठन किया जाएगा, सरकारी कंपनी द्वारा शर्त (1) के अधीन और ऐसे किसी अधिकरण और उक्त अधिकरण की सहायता करने के लिए नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में उपगत सभी व्यय, उक्त सरकारी कंपनी द्वारा वहन किए जाएंगे और इसी प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के अधिकारों के लिए या उनके संबंध में अपील, आदि सभी विधिक कार्यवाहियों की बाबत उपगत, सभी व्यय भी, सरकारी कंपनी द्वारा वहन किए जाएंगे;

- (3) सरकारी कंपनी, केन्द्रीय सरकार या उसके पदधारियों की, ऐसे किसी अन्य व्यय के संबंध में क्षतिपूर्ति करेगी जो इस प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के अधिकारों के बारे में केन्द्रीय सरकार या उसके पदधारियों द्वारा या उनके विरुद्ध किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में आवश्यक हो;
- (4) सरकारी कंपनी के पास उक्त भूमि में इस प्रकार निहित अधिकारों को केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करने की शक्ति नहीं होगी; और
- (5) सरकारी कंपनी, ऐसे निदेशों और शर्तों का पालन करेगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा जब कभी आवश्यक हो, उक्त भूमि के विशिष्ट क्षेत्रों के लिए दिये जाएं या अधिरोपित किए जाएं।

[ फा. सं. 43015/16/2021-एलएण्डआईआर ]

राम शिरोमणि सरोज, निदेशक

## MINISTRY OF COAL

### NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd November, 2022

**S.O. 1215.**—Whereas, on the publication of the notification of the Government of India in the Ministry of Coal, number S.O. 800, dated 14<sup>th</sup> September, 2022, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 17<sup>th</sup> September, 2022, issued under Sub-section (1) of section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act), the land and all rights in or over the lands described in the Schedule appended to the said notification (hereinafter referred to as the said land) vested absolutely in the Central Government free from all encumbrances under sub-section (1) of section 10 of the said Act;

And, whereas, the Central Government is satisfied that the Mahanadi Coalfields Limited, P.O. Jagruti Vihar, Burla, District Sambalpur-768020, Odisha (hereinafter referred to as the Government Company) is willing to comply with such terms and conditions as the Central Government thinks fit to impose in this behalf;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the said Act, the Central Government hereby directs that the said lands measuring 9.624 hectares (approximately) or 23.780 acres (approximately) and all rights in or over the said lands so vested, shall with effect from 17<sup>th</sup> September, 2022 instead of continuing to so vest in the Central Government, shall vest in the Government Company, subject to the following terms and conditions, namely :-

- (1) the Government Company shall make all payments in respect of compensation, interest, damages, etc., and the like, as determined under the provisions of the said Act and other relevant laws;
- (2) a Tribunal shall be constituted under section 14 of the said Act, for the purpose of determining the amounts payable by the Government Company under conditions (1) and all expenditure incurred in connection with any such Tribunal and persons appointed to assist the Tribunal shall be borne by the Government Company and similarly, all expenditure incurred in respect of all legal proceedings like appeals, etc., for or in connection with the rights, in or over the said lands, so vested, shall also be borne by the Government Company;
- (3) the Government Company shall indemnify the Central Government and its officials against any other expenditure that may be necessary in connection with any proceedings by or against the Central Government or its officials regarding the rights in or over the said lands so vested;
- (4) the Government Company shall have no power to transfer the aforesaid rights in the said lands so vested to any other persons without the prior approval of the Central Government; and
- (5) the Government Company shall abide by such directions and conditions as may be given or imposed by the Central Government for particular areas of the said lands, as and when necessary.

[F. No. 43015/16/2021-LA&IR]

RAM SHIROMANI SAROJ, Director